रजि० डी-(डी)

No.

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1976/चैत्र 11, 1898

No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1976/CHAITRA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

GIFT-TAX

New Delhi, the 31st *March* 1976

S.O. 268(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Gift-tax Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Gift-tax (Amendment) Rules, 1976.

(2) Rule 2 shall come into force on the 1st day of June, 1976 and the remaining provisions shall come into force on the 1st day of April, 1976.

2 In Form A, appended to the Gift-tax Rules, 1958 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(i) after the entry "Name of the assessee............", the folowing shall be inserted, namely:—

"Permanent account number...........";

(ii) in PART I,—

(A) for item 8, the following items shall be substituted, namely:—

"Value of taxable gifts (i.e., the difference between items 4 and 7) as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section 44A.

(a) In figures

(b) In words

9. Aggregate value of taxable gifts (not being gifts made before the 1st June, 1973) made during any one or more of four previous years immediately preceding the previous year.

(Details to be given in Part 1A)

(a) In figures

(b) In words

(B) in the Notes, after item 2, the following item shall be inserted, namely:—

"3. The value of the converted property referred to in sub-section (2) of section 4 and deemed to be a gift under that sub-section should also be included in this Part.";

(iii) for the existing PART 1A, the following part shall be substituted, namely:—

"PART 1A

Particulars of gifts made during four previous years immediately preceding the previous year.

Previous year in which the gifts were made	Value of taxable gifts
*A. 19.....	
*B. 19.....	
*C. 19.....	
*D. 19.....	
Total Rs.	

NOTES: 1. *A is the previous year immediately preceding the previous year in respect of which this return is being furnished and B, C and D are the years immediately preceding A, B and C respectively.

2. Gifts made at any time before the 1st June, 1973 need not be shown.

3. The value of the converted property refered to in sub-section (2) of section 4 and deemed to be a gift unter that sub-section should also be included in this Part.".

3. In Form H appended to the principal rules, for item 5, the following item shall be substituted, namely:—

"5. Appellate Assistant Commissioner of Gift-tax who passed the order on appeal under section 17 or section 17A or section 22(5) or section 36(2).

or

Inspecting Assistant Commissioner of Gift-tax who passed the order under section 17(3) or section 17A.

or

Commissioner of Gift-tax who passed the order under section 17 or section 17A or section 22(5) or section 24.".

[No. 1269/F. No. 142(14)/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

दान-कर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का० आ० 268(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दान-कर नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दान-कर (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) नियम 2 पहली जून, 1976 को प्रवृत्त होगा और शेष उपबन्ध पहली अप्रैल 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2. दान-कर नियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) से संलग्न प्ररूप 'क' में, पहली जून, 1976 से :—

(i) "निर्धारिती का नाम ...." प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्थायी लेखा संख्या ...."

(ii) भाग 1 में,

(क) मद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"कराधेय दानों के मूल्य (अर्थात्, मद 4 और 7 के बीच का अन्तर) को दस रु० के निकटतम गुणित में पूर्णांकित किया जाएगा—धारा 44क।

(क) अंकों में ....

(ख) शब्दों में ....

9. पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती चार पूर्व वर्षों में से एक या अधिक के दौरान किए गए कराधेय दानों (जो पहली अप्रैल, 1973 से पूर्व किए गए दान नहीं हैं) का कुल मूल्य।

(भाग 1 क में ब्यौरे दिए जाएंगे)

(क) अंकों में ....

शब्दों में ....

(ख) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. इस भाग में, धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट और उस उपधारा के अधीन दान के रूप में समझी जाने वाली संपरिवर्तित सम्पत्ति का मूल्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(iii) विद्यमान भाग 1क के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 1 क

पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती चार पूर्व वर्षों के दौरान किए गए दानों के बारे में विशिष्टियां

वह पूर्व वर्ष जिसमें दान किया गया	कराधेय दानों का मूल्य
(1)	(2)
क. 19	
ख. 19	
ग. 19	
घ. 19	
कुल रु०	

टिप्पण.—1. पूर्ववर्ष का ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष क है जिसकी बाबत यह विवरणी दी जा रही है और ख, ग और घ वे वर्ष है जो क्रमशः क, ख और ग के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष है।

2. पहली जून, 1973 से पूर्व किसी समय किए गए दानों को दर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस भाग में, धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट और उस उपधारा के अधीन दान के रूप में समझी जाने वाली संपरिवर्तित सम्पत्ति का मूल्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. मूल नियमों से संलग्न प्ररूप ज में, मद 5 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"5. सहायक दान कर आयुक्त (अपील) जिसने धारा 17 या धारा 17क या 22(5) या धारा 36 (12) के अधीन अपील में आदेश पारित किया गया है।

या

सहायक दान कर आयुक्त (निरीक्षण) जिसने धारा 17(3) या धारा 17क के अधीन आदेश पारित किया

या

दान कर आयुक्त जिसने धारा 17 या धारा 17क या धारा 22(5) या धारा 24 के अधीन आदेश पारित किया।

[स० 1269/फा०सं० 142(14)/76 टीपीएल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976